State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना-800014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800014,
Tel : 0612-2290328, Fax: 2290322, website: www.statehealthsocietybihar.org

संजय कुमार (भा०प्र०से०)
कार्यपालक निदेशक
सह
सचिव, स्वास्थ्य

संचिका संख्या SHSB/PM/321/2011
आदेश संख्या 5636 दिनांक 09.7.12

कार्यालय आदेश

हीमोफीलिया रोग से ग्रसित मरीजों के शरीर के किसी भी भाग में कट जाने पर खून नहीं रूकता है ऐसे मरीजों में खून का बहाव रोकने हेतु AHF-VIII का इस्तेमाल किया जाता है।

राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के कार्यालय पत्रांक 2595 दिनांक 23.03.2012 के द्वारा Anti Haemophillic Factor-VIII का दर अनुबंध M/s Reliance Life Science Pvt. Ltd., Dhirubhai Ambani Life Science Centre (DALC), Thane-Belapur Road, Rabale, Navi Mumbai से कर जिलों एवं चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों को संसूचित किया गया था।

दर अनुबंध की कंडिका 05.01 में उल्लेखित है कि प्रथम क्रयादेश निर्गत होने के 30 दिनों के अंदर एवं उसके बाद के क्रयादेशों के 15 दिनों के अंदर व्यादेशित औषधि की आपूर्ति दर अनुबंधित फर्म द्वारा संबंधित व्यादेशकर्त्ता चिकित्सा संस्थान को किया जाना है।

पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के क्रयादेश ज्ञापांक 4762 दिनांक 29.03.2012 द्वारा 2100 भायल Anti Haemophillic Factor-VIII की आपूर्ति करने का आदेश M/s Reliance Life Science Pvt. Ltd. को दिया गया था।

पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के ज्ञापांक 6688 दिनांक 10.05.2012 एवं ज्ञापांक 6970 दिनांक 14.05.2012 के द्वारा सूचित किया गया कि M/s Reliance Life Science Pvt. Ltd. द्वारा Anti Haemophillic Factor VIII की आपूर्ति दर अनुबंध में निहित समयानुसार नहीं की जा रही है।

पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के उक्त पत्र के आलोक में राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के कार्यालय पत्रांक 4330 दिनांक 22.05.2012 द्वारा फर्म से कारण पृच्छा किया गया था, परंतु फर्म के द्वारा आज तक पूछे गये स्पष्टीकरण का जबाब नहीं दिया गया है। कार्यालय द्वारा फर्म से दिनांक 22.5.2012 को ही दूरभाष पर संपर्क करने पर बताया गया था कि बीस दिनों में आपूर्ति कर दी जाएगी। इसके बावजूद फर्म के द्वारा पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में AHF की आपूर्ति व्यादेशित मात्रा में नहीं की गयी। अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के पत्रांक 8116 दिनांक 13.06.2012, पत्रांक 8502 दिनांक 21.06.2012 एवं पत्रांक 8774 दिनांक 28.06.2012 के द्वारा सूचित किया गया कि फर्म के द्वारा दिनांक 24.05.2012 को मात्र 131 भायल की आपूर्ति किया गया एवं शेष भायल की आपूर्ति आज तक लंबित है।

क्योंकि हंसमुख बच्चा आपकी इच्छा!

State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना-800014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800014,
Tel : 0612-2290328, Fax: 2290322, website: www.statehealthsocietybihar.org

ज्ञातव्य हो कि स्वास्थ्य विभाग के संकल्प संख्या 409 (12) दिनांक 9.05.2011 द्वारा राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों एवं न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल के वाह्य कक्ष की आवश्यक दवा सूची में Anti Haemophillic Factor VIII (AHF) की दवा चिन्हित है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा समादेश याचिका संख्या 10324/2006 श्री कुमार शैलेन्द्र बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में AHF की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश पारित है।

फर्म ने पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में दर अनुबंध में निहित समयानुसार AHF की आपूर्ति नहीं कर निविदा शर्त की कंडिका G का उल्लंघन किया है साथ ही M/s Reliance Life Science Pvt. Ltd. ने हीमोफीलिया रोग से ग्रसित मरीजों को AHF जैसी महत्वपूर्ण औषधि से वंचित रखने का भी कार्य किया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के व्यापक समीक्षोपरान्त एवं सम्यक विचारोपरान्त AHF जैसी महत्वपूर्ण औषधि फर्म के द्वारा दर अनुबंध में निहित समय सीमा के अनुसार आपूर्ति नहीं करने के फलस्वरूप मरीज हित में निविदा शर्त की कंडिका G एवं P में उल्लेखित प्रावधानों के आलोक में M/s Reliance Life Science Pvt. Ltd., Dhirubhai Ambani Life Science Centre (DALC), Thane-Belapur Road, Rabale, Navi Mumbai को राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के कार्यालय पत्रांक 2595, 2594 दिनांक 23.3.2012 के द्वारा AHF एवं कार्यालय पत्रांक 30168 दिनांक 16.9.2011 के द्वारा Drug Round-VIII में उक्त फर्म के साथ Human Albumin Infusion-20% 100ml bottle के लिए किये गये दर अनुबंध को रद्द करते हुये फर्म को पाँच वर्षो के लिए काली सूची में दर्ज किया जाता है एवं बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग/राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/जिला स्वास्थ्य समिति/चिकित्सा महाविधालय अस्पतालों/संस्थानों द्वारा आमंत्रित किसी भी निविदा में भाग लेने पर रोक लगाते हुये फर्म के द्वारा जमा किया गया एक लाख का बैंक गारंटी संख्या I02GPGE113430001 दिनांक 9.12.2011 एवं दस लाख का बैंक गारंटी संख्या I02GPGE112380002 दिनांक 26.8.2011, Canara Bank, Prime Corporate Branch II, Varma Chambers, Homji Street, Fort, Mumbai यानि कुल ग्यारह लाख की प्रतिभूति राशि को जब्त किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त आशय की सूचना सभी संबंधित को अविलंब दिया जाये एवं सर्वसाधारण के सूचना हेतु इसे राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के वेबसाईट पर भी उपलब्ध करा दिया जाये।

कार्यपालक निदेशक
सह
सचिव, स्वास्थ्य

ज्ञापांक.................... पटना, दिनांक......................

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना-800014

Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800014,

Tel : 0612-2290328, Fax: 2290322, website: www.statehealthsocietybihar.org

प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/निदेशक, इंदिरा गाँधी आर्युविज्ञान संस्थान, पटना/निदेशक, इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना/प्राचार्य, पटना दंत महाविद्यालय, पटना/उपाधीक्षक, गार्डिनर रोड़ अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः अपर कार्यपालक निदेशक/प्रशासी पदाधिकारी/अपर निदेशक/सभी वरीय उपसमाहर्ता/सभी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर निदेशक (वित्त)/वित्त प्रबंधक/लेखा प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुये निदेश है कि बैंक गारंटी की जब्त की गयी राशि को राज्य स्वास्थ्य समिति के बैंक खाता में जमा कराना सुनिश्चित किया जाये।

प्रतिलिपि : सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः M/s Reliance Life Science Pvt. Ltd., Dhirubhai Ambani Life Science Centre (DALC), Thane-Belapur Road, Rabale, Navi Mumbai को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः Senior Manager, Canara Bank, Prime Corporate Branch II, Varma Chambers, 2nd Floor, Homji Street, Fort, Mumbai- 400 001 को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित करते हुये अनुरोध है कि फर्म के एक लाख की बैंक गारंटी संख्या 102GPGE113430001 दिनांक 9.12.2011 एवं दस लाख की बैंक गारंटी संख्या I02GPGE112380002 दिनांक 26.8.2011 को जब्त करते हुये उक्त ग्यारह लाख की राशि को राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के Allahabad Bank, Patna के खाता संख्या 20244462130 में जमा कराना सुनिश्चित करना चाहेगें तथा की गयी कार्रवाई एवं अनुपालन प्रतिवेदन से राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को दिनांक 20.7.2012 तक सूचित करना चाहेगें। सुलभ संदर्भ हेतु बैंक गारंटी की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न है।

कार्यपालक निदेशक
सह
सचिव, स्वास्थ्य